



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240480  
CG-DL-E-23112022-240480

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743]  
No. 743]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/अग्रहायण 1, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/AGRAHAYANA 1, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 834(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 4 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 259 (अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, श्री राजेश कुमार सिन्हा, भा.प्र.से., 1994 (अपर सचिव), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक चेन्नै पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021- श्रम-भाग(2)]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2022

**G.S.R. 834(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No.G.S.R. 259(E) dated 04<sup>th</sup> April, 2022, the Central Government hereby appoints Shri Rajesh Kumar Sinha, IAS, 1994 (Additional Secretary), Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as an Ex-officio Member of the Board of Chennai Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.